न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 193/2024

अनवान : –

1. संतोष पुत्री लीलाधर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता कमला पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सपना पुत्री लीलाधर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता कमला पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. बंशीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 15/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 61/62 की कुल 0.6260 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/106 की कुल 0.1270 हैक्ट भूमि व खाता स0 117/106 की कुल 0.7850 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायला संख्या 1 ता 2 के पड़दादा व सायल स0 3 के दादा ससुर जीसुख पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज थी। नन्दराम के देहान्त के बाद वाद भूमि मनफुल पुत्र जीसुख के नाम दर्ज हो गयी। सायल संख्या 1 व 2 के दादा ने सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए उक्त वाद भूमि का दान पत्र दिनांक 01.02.2024 को गैरसायल स0 1 के पक्ष में करवा दिया जो की सायलान के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक दानपत्र गैरसायाल संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी। जबकि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है। मनफुल के पुत्र लिलाधर का देहान्त हो चुका है। इसलिए वाद भूमि पैतृक होने के कारण वाद भूमि में सायलान का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 अपनी नाजायज जरूरतों को पुरा करने के लिए [illegible] भूमि को रहन/बैय करना चाहता है अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब [illegible] है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी क[illegible] गैरसायल स0 1 को ताफैसला दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 61/62 की कुल 0.6260 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/106 की कुल 0.1270 हैक्ट भूमि व खाता स0 117/106 की कुल 0.7850 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि उत्तरदाता को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है। मनफुल पुत्र जीसुख ने दिनांक 01.02.2024 को दो गवाहन की उपस्थिति में उक्त वाद भूमि का दानपत्र बंशीलाल पुत्र मनफुल के पक्ष में उप पंजीयक नोहर से तस्दीक करवाया था। वाद भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि पूर्व में सायला संख्या 1 ता 2 के पड़दादा व सायल स0 3 के दादा ससुर जीसुख पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज थी। नन्दराम के देहान्त के बाद वाद भूमि मनफुल पुत्र जीसुख के नाम दर्ज हो गयी। सायल संख्या 1 व 2 के दादा ने सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए उक्त वाद भूमि का दान पत्र दिनांक 01.02.2024 को गैरसायल स0 1 के पक्ष में करवा दिया जो की सायलान के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक दानपत्र गैरसायाल संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी। जबकि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है। मनफुल के पुत्र लिलाधर का देहान्त हो चुका है। इसलिए वाद भूमि पैतृक होने के कारण वाद भूमि में सायलान का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 अपनी नाजायज जरूरतों को पुरा करने के लिए वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय करना चाहता है अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही है। अतः गैरसायल स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि उत्तरदाता को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है। मनफुल पुत्र जीसुख ने दिनांक 01.02.2024 को दो गवाहन की उपस्थिति में उक्त वाद भूमि का दानपत्र बंशीलाल पुत्र मनफुल के पक्ष में उप पंजीयक नोहर से तस्दीक करवाया था। वाद भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 61/62 की कुल 0.6260 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/106 की कुल 0.1270 हैक्ट भूमि व खाता स0 117/106 की कुल 0.7850 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा उक्त वाद भूमि उत्तरदाता को जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है। मनफुल पुत्र जीसुख ने दिनांक 01.02.2024 को दो गवाहन की उपस्थिति में उक्त वाद भूमि का दानपत्र बंशीलाल पुत्र मनफुल के पक्ष में उप पंजीयक नोहर से तस्दीक करवाया था। वाद भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अप्राथी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड दानपत्र की की चित्रप्रति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त वाद भूमि जरिये दानपत्र मनफुल से प्राप्त हुई है। उक्त दानपत्र आदिनांक तक वैध है अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दानपत्र के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में मनफूल के पिता के नाम दर्ज थी अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा केवल कथन किया गया है अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है एवं है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है एवं प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 25.07.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/10/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested